



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-इटारसी

FBA/किरानी/होशंगाबाद/भू.रा/२०१८/०७०१

पवन कुमार पुत्र स्व. रिखीराम

निवासी- पुरानी इटारसी तहसील इटारसी  
जिला - होशंगाबाद (म.प्र.)

2

रामकृष्ण पुत्र द्वारका प्रसाद

निवासी - ग्राम पथरोटा तहसील इटारसी जिला  
- होशंगाबाद (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1

दिनेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री त्रम्बक प्रसाद

निवासी - शिवराज पुरी कालौनी पुरानी  
इटारसी तहसील इटारसी जिला - होशंगाबाद  
म.प्र.

2

श्रीमती नीलिमा देवी पत्नी श्री दिनेन्द्र प्रसाद

3

सोमेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री दिनेन्द्र प्रसाद

4

राजेन्द्र प्रसार पुत्र श्री दिनेन्द्र प्रसाद

5

राघवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री दिनेन्द्र प्रसाद

निवासीगण - शिवराज पुरी कालौनी पुरानी  
इटारसी तहसील इटारसी जिला - होशंगाबाद  
म.प्र.

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील इटारसी द्वारा प्रकरण क्रमांक  
40/अ-6/(अ)2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 के विरुद्ध  
म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

स्व.मो.युवैगि रुखी  
द्वारा आज 27.1.18 को  
12-2-18


27-1-18

Dehatoli  
27/1/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/भू.रा./2018/0709 / होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार का आदेश अन्तिम प्रकृति का आदेश है, किन्तु त्रुटिवश इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया । आवेदक के अनुरोध पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>